

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 353]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 अगस्त 2016—श्रावण 31, शक 1938

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2016

एफ. क्र. 1(ए)-64-14-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 19 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“20	संचार अधिकारी	01	द्वितीय-श्रेणी	9300—34800+4200	राज्य स्तर।”।

- (2) अनुसूची-दो में, शीर्षक कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी के अधीन, अनुक्रमांक 10 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“11	सहायक संचार अधिकारी	01	-	100 प्रतिशत	-	—।”।

(3) अनुसूची-चार में,—

(एक) शीर्षक कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी के अधीन, अनुक्रमांक 2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3	संचार अधिकारी	सहायक संचालक	5 वर्ष	—तदैव—	केवल एक पद।"

(दो) शीर्षक कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी के अधीन, अनुक्रमांक 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4	सहायक संचार अधिकारी	संचार अधिकारी	5 वर्ष	—तदैव—	—।"

No. 10-1(A)-64-14-L-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Women and Child Development (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2011, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In Schedule-I, after serial number 19 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"20.	Communication Officer	01	Class-II	9300—34800+4200	State level."

(2) In Schedule-II, under the heading Junior Class-II after serial number 10 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
"11.	Assistant Communication Officer		01	-	100%	-	-".

(3) In Schedule-IV,—

(i) under the heading Junior Class-II, after serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	Communication Officer	Assistant Director	5 years	-do-	Only one post."

(ii) under the heading Junior Class-III, after serial number 3, and entries relating thereto the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4.	Assistant Communication Officer	Communication Officer	5 years	-do-	-".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.